अगोपनीय

भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशित किया जाना है

फा.सं. 6/51/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 19.03.2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई)**-48/2024**

विषय: '2,2,4-ट्राइमेथिल-1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन' (टीडीक्यू) के आयात के संबंध में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित माल के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/51/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'पाटनरोधी नियमावली' या 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. नोसिल लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष '2,2,4-ट्राइमेथिल-1,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन' (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध सामान' या 'टीडीक्यू' भी कहा गया है) के चीन जनवादी गणराज्य ('चीन जन.गण.') (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) से आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने हेतु अधिसूचना फा.सं. 6/51/2024-डीजीटीआर, दिनांक 27 दिसंबर 2024 के माध्यम से चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात की पाटनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

क) नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ख) आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी को पाटन और परिणामी क्षति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला। अतः, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा.सं. 6/51/2024-डीजीटीआर दिनांक 27 दिसंबर 2024 के माध्यम से प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

ग) जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 मानी गई है। क्षति की अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

घ) क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्रदान करने के लिए प्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय ('डीजी सिस्टम') से अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इस डेटा पर भरोसा किया है।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

क) नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजकर जांच के बारे में सूचित किया।

ख) नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।

ग) प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह जांच शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावलियां अपने देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को अग्रेषित करें।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत से आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

क) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध सामान के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी।

ख) निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	सेनिक्स कं., लि.
ख.	सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग
ग.	सेनिक्स सिंगापुर प्रा. लि.

ग) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध सामान के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	अग्रवाल रबर लिमिटेड
ख.	अपोलो टायर्स लिमिटेड
ग.	एशियन टायर फैक्ट्री लिमिटेड
घ.	एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
ड.	बी.पी. केमिकल्स
च.	बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
छ.	कॉन्सटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
ज.	डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
झ.	फोरेच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ञ.	गोविंद रबर लिमिटेड
ट.	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ठ.	लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ड.	एमआरएल टायर्स लिमिटेड
ढ.	एनआरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ण.	टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड
त.	यासो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
थ.	सनराइज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन
द.	अन्य ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता

घ) जांच शुरू होने के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
क.	अपोलो टायर्स लिमिटेड
ख.	सीईएटी लिमिटेड
ग.	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
घ.	लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ड.	एमआरएफ लिमिटेड

ड. उपरोक्त के अतिरिक्त, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नामक एक संघ ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया है।

च) प्राधिकारी ने सार्वजनिक हित एवं शुल्कों के व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और आवेदक को भेजी गई। आवेदक नोसिल लिमिटेड और प्रयोक्ताओं में अपोलो टायर्स लिमिटेड तथा सीईएटी लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

क्र.सं.	**हिंदी (अनुवाद)**
I	आवेदक
क.	एनओसीआईएल लिमिटेड
II	आयातक/उपयोगकर्ता
ख.	अपोलो टायर्स लिमिटेड
ग.	सीएट लिमिटेड

छ) निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अभ्यावेदनों के अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करें।

3.4 अन्य प्रक्रियाएं

क) नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 2 सितंबर 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित अभ्यावेदन दायर करने का अनुरोध किया गया।

ख) नियम 6(8) के अनुसार, जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर आवश्यक जानकारी देने से इनकार किया अथवा अन्यथा जानकारी नहीं दी या जांच में महत्वपूर्ण

बाधा उत्पन्न की, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए।

ग) नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता की जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां उचित था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया।

घ) नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन किया।

ड) प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर की।

च) प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, दी गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदनों की जांच की।

छ) प्राधिकारी ने 12 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण वितरित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम निष्कर्षों में संबंधित पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्राप्त सभी प्रासंगिक टिप्पणियों की जांच की है।

ज) '***' ऐसी सूचना को इंगित करता है जो किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे गोपनीय माना गया है।

झ) वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹83.82 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

4. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं किया है।

ग.2 आवेदक के अभ्यावेदन

5. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- विचाराधीन उत्पाद '2,2,4-ट्राइमेथिल-1,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन' है।
- विचाराधीन उत्पाद को टीडीक्यू या टीएमक्यू के नाम से भी जाना जाता है।
- विचाराधीन उत्पाद एसीटोन और एनिलिन से उत्पादित एक रबर एंटीऑक्सीडेंट है। इसका उपयोग परिवेशीय और उच्च तापमान दोनों पर ऑक्सीडेटिव एजिंग के विरुद्ध रबर वल्केनाइजेट को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है।

- विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 31 00 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे एचएस कोड 2921 51 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20 और 3812 39 90 के तहत भी आयात किया गया है।
- विचाराधीन उत्पाद पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5% है।
- आवेदक द्वारा उत्पादित समान वस्तु और विचाराधीन उत्पाद, जो संबंधित देश से निर्यात किया जाता है, में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्रारंभिक चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

> "3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद '2,2,4-ट्राइमिथाइल-1,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन', जिसे 'टीडीक्यू (TDQ)' के नाम से भी जाना जाता है।
>
> 4. टीडीक्यू एक रबर एंटीऑक्सिडेंट है, जो एसीटोन और एनीलिन से निर्मित होता है। इसका उपयोग रबर वल्केनाइजेट्स को परिवेशी तापमान तथा उच्च तापमान दोनों पर ऑक्सीडेटिव एजिंग के विरुद्ध दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह स्थिर तथा गतिशील दोनों परिस्थितियों में ओजोन के कारण होने वाले अपघटन से भी सुरक्षा प्रदान करता है।
>
> 5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एवं विक्रय दो रूपों में किया जाता है–टीडीक्यू सामान्य ग्रेड तथा टीडीक्यू एचपी ग्रेड। टीडीक्यू एचपी ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
>
> 6. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 38, शीर्षक 3812 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 31 00 में वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद का आयात अन्य एचएस कोड्स, अर्थात् 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20 तथा 3812 39 90 के अंतर्गत भी किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।"

7. प्राधिकरण ने जांच की शुरुआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीयूसी-पीसीएन कार्यप्रणाली को अधिसूचित किया था। इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे इस जांच की शुरुआत की तिथि से 15 दिनों के भीतर, यदि कोई हो, पीयूसी-पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

8. किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की गईं। तदनुसार, उत्तर दाखिल करने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन कार्यप्रणाली को 4 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया।

9. उपर्युक्त के मद्देनज़र, प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निम्नानुसार निष्कर्षित करता है:

> वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद '2,2,4-ट्राइमिथाइल-1,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन', जिसे 'टीडीक्यू (TDQ)' के नाम से भी जाना जाता है, है।

10. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 38, शीर्षक 3812 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 31 00 में वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद का आयात अन्य एचएस कोड्स, अर्थात् 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20 तथा 3812 39 90 के अंतर्गत भी किया गया है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल संकेतात्मक माना गया है तथा यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5% है। विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मापन इकाई भार है, जिसे किलोग्राम (केजी) अथवा मीट्रिक टन (एमटी) में व्यक्त किया जाता है।

12. नियम 2(ड) के अंतर्गत "समरूप वस्तु" की परिभाषा निम्नानुसार प्रदान की गई है:

> "'समरूप वस्तु' से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो भारत में डंपिंग के लिए जांचाधीन वस्तु के समान सभी दृष्टियों से समान या तुल्य हो, अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में, ऐसी अन्य वस्तु से है जो यद्यपि सभी दृष्टियों से समान न हो, तथापि उसके गुणधर्म जांचाधीन वस्तु के गुणधर्मों से अत्यंत मिलते-जुलते हों।"

13. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषय देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समरूप वस्तु के बीच कोई ज्ञात भिन्नता नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद तथा विषय देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता इन्हें परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकरण निष्कर्ष करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समरूप वस्तु है।

<u>घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

14. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का समर्थन-पत्र अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं किया गया है।
- निर्धारित व्यापार सूचनाओं (व्यापार सूचना सं. 13/2018 और व्यापार सूचना सं. 14/2018) के अनुसार लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समर्थन का खुलासा किए बिना उस पर निर्भरता प्राधिकारी के अपने बाध्यकारी प्रक्रियागत ढांचे के साथ असंगत है।

घ.2 आवेदक के अभ्यावेदन

15. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- आवेदक के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामान का एक अन्य उत्पादक, नामतः लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आवेदक के पास वर्तमान आवेदन-पत्र दायर करने का पर्याप्त आधार है।
- आवेदक ने अपना विचार जानने के लिए लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संचार भेजा था किंतु उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सीधे प्राधिकारी को समर्थन-पत्र दायर किया था।
- फिनोरकेम लिमिटेड के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है।
- आवेदक ने संबद्ध देश से जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- आवेदक संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. नियमावली का नियम 2(ख) 'घरेलू उद्योग' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

> '(ख) घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं।'

17. आवेदन-पत्र नोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में संबद्ध सामान का एक अन्य उत्पादक, नामतः लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। प्राधिकारी ने जांच शुरू होने से पहले लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को संचार भेजा था और उसके बाद घरेलू उत्पादक से आवेदन का समर्थन करने वाली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।

18. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार डेटा की जांच की और पाया कि नोसिल लिमिटेड ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह भी देखा गया है कि नोसिल लिमिटेड संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

19. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि फिनोरकेम लिमिटेड की भी 6,000 एमटी की क्षमता है किंतु उत्पादक ने जांच की अवधि के बाद उत्पादन शुरू किया।

20. जांच शुरू होने से पहले, प्राधिकारी ने लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ईमेल भेजकर उसका मत जाना था। उत्तर में, लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ईमेल के माध्यम से आवेदन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी नोट करता है कि नोसिल लिमिटेड का उत्पादन भारत के सकल उत्पादन के 50% से अधिक है।

21. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि नोसिल लिमिटेड नियमावली की दृष्टि से भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। नोसिल लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है और नियमावली के नियम 5(3) की दृष्टि से आधार की कसौटियों को पूरा करता

है। अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि नोसिल लिमिटेड नियमावली के अर्थ में घरेलू उद्योग बनाता है।

ड. गोपनीयता और विविध अभ्यावेदन

ड.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

22. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए हैं:

- आवेदक व्यापार उपचार जांचों की बार-बार पहल करने वाला है, जो प्रक्रिया के दुरुपयोग के एक पैटर्न को दर्शाता है। इससे आवेदक के दावों की विश्वसनीयता तथा वर्तमान जांच की वैधता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- अपेक्षाकृत कम अवधि में 'व्यापक डंपिंग' की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जो प्रतिगामी रूप से एंटी-डंपिंग शुल्क के आवेदन को उचित ठहराए। अतः एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रतिगामी अधिरोपण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- निजी स्रोत से प्राप्त आंकड़े प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं हैं। प्राधिकरण को वर्तमान जांच में आयात के परीक्षण हेतु प्रारंभ के समय डीजीसीआई एंड एस (DGCI&S) के आंकड़ों का आह्वान करना चाहिए था।
- वित्त मंत्रालय ने पूर्व में इसी उत्पाद श्रेणी में प्राधिकरण की सिफारिश को अस्वीकार किया है, यह मानते हुए कि शुल्क का अधिरोपण टायर एवं ऑटोमोटिव उद्योगों पर असंगत लागत का बोझ डालेगा।

ड.2 आवेदक के अभ्यावेदन

23. आवेदक ने निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए हैं:

i. प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी पूर्ववर्ती जांचों में डंप किए गए आयातों से हुई क्षति के अधीन शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की थी। वर्तमान मामला भी इससे भिन्न नहीं है, जिसमें यह जांच भी विषय देश से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्रारंभ की गई है।

ii. एंटी-डंपिंग कानून के उद्देश्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण के मामले में मान्यता प्रदान की गई है।

iii. इच्छुक पक्षों द्वारा ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि बाजार खुफिया के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं।

iv. आवेदक इस कथन का खंडन करता है कि पूर्ववर्ती जांच में विचाराधीन उत्पाद पर उपायों के अधिरोपण हेतु प्राधिकरण की सिफारिशों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शुल्क का अधिरोपण टायर एवं ऑटोमोटिव उद्योगों पर असंगत लागत का बोझ डालेगा।

v. सार्वजनिक अभिलेख पर ऐसा कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है जो यह संकेत दे कि वित्त मंत्रालय ने यह विचार किया था कि एंटी-डंपिंग शुल्क आवश्यक नहीं थे।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना के अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली का नियम 7 निम्नलिखित प्रावधान करता है: [नियम 7 के प्रावधान] ।

> **"7. गोपनीय सूचना:**
>
> (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकरण उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट हो, तो उसे गोपनीय माना जाएगा तथा ऐसी किसी सूचना का प्रकटीकरण उस पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को नहीं किया जाएगा जिसने ऐसी सूचना प्रदान की है।
>
> (2) नामित प्राधिकरण, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले इच्छुक पक्षों से उसका गैर-गोपनीय सार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष के मत में उक्त सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो वह पक्ष नामित प्राधिकरण को यह कारण बताने वाला विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।
>
> (3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि नामित प्राधिकरण यह संतुष्ट हो कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या सूचना प्रदान करने वाला पक्ष या तो उस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं है अथवा उसे सामान्यीकृत या सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

25. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग तथा इच्छुक पक्षों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, विक्रय मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, गैर-हानिकर मूल्य, उत्पादन लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन, लैंडेड मूल्य, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से संबंधित सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री एवं खरीद दस्तावेज, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं सूचना क्षति अवधि से संबंधित है, उसे सूचकांकित आधार पर प्रदान किया गया है। जहां सूचना किसी एक वर्ष से संबंधित है, वहां, यदि ऐसा प्रकटीकरण सूचना की गोपनीयता से समझौता नहीं करता है, उसे परास (रेंज) में प्रकट किया गया है। इच्छुक पक्षों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों एवं सूचनाओं पर भी गोपनीयता का दावा किया है, जहां ऐसी सूचना उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी इच्छुक पक्ष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय माना गया है। जहां कहीं इच्छुक पक्षों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया

गया है कि इन पक्षों ने यह भी दावा किया है कि ऐसे दस्तावेजों का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है तथा यह भी कारण बताए हैं कि सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

26. प्राधिकरण ने सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों तथा अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत ऐसी सूचनाओं एवं दस्तावेजों पर गोपनीयता के दावे को निरंतर स्वीकार किया है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि सभी इच्छुक पक्षों ने अपनी व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहां उचित पाया, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है तथा ऐसी सूचनाओं को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पक्षों के साथ साझा नहीं किया गया है।

27. घरेलू उद्योग को व्यापार उपचार जांचों का बार-बार प्रारंभ करने वाला बताते हुए प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक पैटर्न होने संबंधी इच्छुक पक्षों के प्रस्तुतीकरण पर, प्राधिकरण यह नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद पर अतीत में विषय तथा गैर-विषय देशों दोनों से संबंधित अनेक एंटी-डंपिंग जांचें की गई हैं। ये जांचें अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रारंभ की गई थीं तथा जहां उचित पाया गया, वहां शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की गई थी। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में भी प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर यह जांच प्रारंभ की है तथा विचाराधीन उत्पाद के विषय देश से उत्पत्ति या निर्यात के संबंध में डंपिंग के प्रथम दृष्टया साक्ष्य, कथित डंपिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और डंप किए गए आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9ए को नियम 5 के साथ पठित करते हुए, इस जांच की शुरुआत की गई है।

28. घरेलू उद्योग द्वारा आयात के परीक्षण हेतु प्रयुक्त आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम के ट्रांजैक्शन-वाइज आंकड़ों के आधार पर आयात आंकड़ों की जांच की तथा पाया कि आयात की मात्रा एवं मूल्य तुलनीय थे। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर किया है।

29. प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जांच में, जांच की अवधि 15 महीने की है। पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी बारह महीने की अवधि को जांच की मानक अवधि मानता है। नियमावली प्राधिकारी को लिखित में कारण दर्ज करने के बाद, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, छह महीने से कम नहीं और अठारह महीने से अधिक नहीं की जांच की अवधि अपनाने का अधिकार देती है।

30. यह नोट किया गया है कि कई पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकरण ने प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बारह माह से कम अथवा अधिक अवधि की जांच अवधि अपनाई है। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 2024 से जून 2025 की बारह माह की अवधि को अपनाने से लागत आंकड़ों की तैयारी एवं सत्यापन में महत्वपूर्ण व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं तथा इस अवधि के चयन से विश्लेषण विकृत नहीं होगा। 15 माह की अवधि को अपनाने के कारण प्रारंभ अधिसूचना में प्रदान किए गए थे और किसी भी पक्ष द्वारा उन कारणों का विवाद नहीं किया गया है।

31. 31. प्राधिकरण यह भी मानता है कि जांच अवधि के अंतर्गत लेखा वर्ष को शामिल करना वांछनीय है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां इसका समावेश अन्यथा आंकड़ों को विकृत नहीं करता है। यह भी नोट किया गया है कि पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाने से जांच के परिणाम पर या किसी भी इच्छुक पक्ष के सद्भावनापूर्ण हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या पूर्वाग्रह नहीं पड़ा है। ऐसा कोई सत्यापनीय दावा

उपलब्ध नहीं है कि 15 माह के आंकड़ों के विचार से अंतिम निष्कर्ष में कोई विकृति उत्पन्न हुई है। तदनुसार, प्राधिकरण यह मानता है कि वर्तमान मामले में पंद्रह माह की जांच अवधि को अपनाना उपयुक्त है।

च. पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

32. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आकलन के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. सामान्य मूल्य की गणना चीनी मूल्यों एवं लागतों के आधार पर की जानी चाहिए, क्योंकि चीन के डब्ल्यूटीओ अभिगमन प्रोटोकॉल की अवधि 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ दोनों ने इस समयसीमा को मान्यता दी है। इस व्याख्या को "फास्टनर केस" में डब्ल्यूटीओ के निर्णय द्वारा भी समर्थन प्राप्त है।

ii. आवेदक द्वारा जापान को अपने निर्यात मूल्यों पर निर्भरता, परिशिष्ट-I के पैरा 7 के अनुसार अनिवार्य क्रम को दरकिनार करती है तथा यह बताए बिना कि बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड या सबसे कुशल भारतीय उत्पादक की उत्पादन लागत को क्यों लागू नहीं किया जा सकता, सीधे अवशिष्ट प्रावधान का उपयोग करती है।

iii. पैरा 7 के अंतर्गत "किसी अन्य उचित आधार" का प्रावधान अवशिष्ट एवं सशर्त है। इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड उपलब्ध नहीं हैं या अविश्वसनीय हैं, अथवा सबसे कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर लागत-आधारित निर्माण संभव नहीं है।

iv. आवेदक के जापान को निर्यात मूल्य स्व-संदर्भित, अतुलनीय हैं तथा विषय देश के उत्पादकों की लागत या मूल्य निर्धारण व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

v. प्राधिकरण का दायित्व है कि वह आवेदक तथा लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दोनों की दक्षता पर विचार करे तथा सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए अधिक दक्ष उत्पादक का चयन करे।

vi. वर्तमान जांच में डंपिंग एवं क्षति मार्जिन के बढ़ने के संबंध में आवेदक का दावा अप्रमाणित है तथा यह मात्र अनुमान एवं अप्रमाणित आंकड़ों पर आधारित है।

च.2 आवेदक के अभ्यावेदन

33. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आकलन के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए।

ii. यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(ए)(ii) समाप्त हो चुका है और इसलिए वर्तमान मामले में लागू नहीं है, तब भी अनुच्छेद 15(ए)(i) लागू रहता है और चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

iii. चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) के अंतर्गत दायित्व यह है कि नियमों के परिशिष्ट-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंडों को निर्यातक द्वारा पूरा किया जाए।

iv. चूंकि चीनी उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त नहीं है, अतः नामित प्राधिकरण को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमों के परिशिष्ट-I के पैरा 7 का अनुसरण करना चाहिए।

v. आवेदक तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था के वास्तविक विक्रय मूल्य अथवा उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वास्तविक विक्रय मूल्य के संबंध में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था।

vi. आवेदक किसी तीसरे देश से अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि जहां भारत में विचाराधीन वस्तु का एक विशिष्ट कोड है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसका कोई विशिष्ट कोड उपलब्ध नहीं है।

vii. आवेदक ने "किसी अन्य उचित आधार" के अंतर्गत जापान को अपने निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया, क्योंकि ये निर्यात मात्रा में पर्याप्त तथा लाभप्रद थे, तथा साथ ही आवेदक की उत्पादन लागत में युक्तिसंगत लाभ जोड़कर भी सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया। उत्पादन लागत के निर्धारण हेतु कच्चे माल की कीमतें भारत में आयात मूल्यों के आधार पर ली गईं।

viii. नियमों में "किसी अन्य उचित आधार" के अंतर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी प्रकार की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है। यद्यपि "भारत में देय या चुकाए गए मूल्य" को एक उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया गया है, तथापि नियमों में कहीं भी इसे अन्य प्रस्तावित आधारों की तुलना में प्राथमिकता देने का प्रावधान नहीं है।

ix. यदि प्राधिकरण यह मानता है कि चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के सभी प्रावधान अब लागू नहीं हैं और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के पैरा 1 से 6 के अनुसार किया जाना है, तब भी चीनी घरेलू लागत एवं मूल्य तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकते जब तक कि चीनी निर्यातक निम्नलिखित मानकों को पूरा न करें, अर्थात् (i) लागत एवं मूल्य निर्धारण में राज्य का हस्तक्षेप न होना, (ii) प्रमुख इनपुट की कीमतें बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करती हों, (iii) निर्यातकों की लेखा पुस्तिकाएं चीनी सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षित हों, तथा (iv) निर्यातक की संगठनात्मक संरचना के कारण लागत की उपयुक्तता।

x. विचाराधीन उत्पाद पर पूर्ववर्ती जांच की तुलना में डंपिंग मार्जिन में वृद्धि हुई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 सामान्य मूल्य

34. धारा 9ए (1) (सी) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का अर्थ निम्नलिखित है:

i) निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग हेतु निर्धारित समरूप वस्तु के लिए, व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय मूल्य, जैसा कि उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो; या

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समरूप वस्तु की बिक्री नहीं होती है, अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार की विशेष परिस्थिति या बिक्री

उत्पादकों/निर्यातकों को प्रारंभ अधिसूचना का उत्तर देने तथा यह सूचना प्रदान करने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचनाएं सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई जा सकती हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने चीन जनवादी गणराज्य के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित कीं, ताकि वे प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें।

39. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

*"**(क)** जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI तथा एंटी-डंपिंग समझौते के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता निर्धारित करते समय, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी मूल्य या लागत का उपयोग करेगा अथवा ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएगा जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन के घरेलू मूल्यों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो:*

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकें कि समरूप उत्पाद का निर्माण, उत्पादन एवं विक्रय करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने के लिए जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी मूल्य या लागत का उपयोग करेगा;

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकें कि समरूप उत्पाद के निर्माण, उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकता है जो चीन के घरेलू मूल्यों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

***(ख)** एससीएम समझौते के भाग II, III एवं V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) एवं 14(घ) में वर्णित सब्सिडी का परीक्षण किया जाता है, तो एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उनके अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयां हों, तो आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान एवं मापन हेतु ऐसी कार्यप्रणालियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें एवं परिस्थितियां उपयुक्त मानक के रूप में सदैव उपलब्ध न हों। ऐसी कार्यप्रणालियों को लागू करते समय, जहां संभव हो, आयातक सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित शर्तों एवं परिस्थितियों का उपयोग करने से पूर्व चीन की प्रचलित शर्तों एवं परिस्थितियों में आवश्यक समायोजन करना चाहिए।*

***(ग)** आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार उपयोग की गई कार्यप्रणालियों की सूचना एंटी-डंपिंग प्रथाओं की समिति को तथा उप-पैरा (ख) के अनुसार उपयोग की गई कार्यप्रणालियों की सूचना सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों की समिति को देगा।*

***(घ)** जब चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में अभिगमन की तिथि के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड निहित हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (क)(ii) के प्रावधान अभिगमन की तिथि से 15 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यदि चीन आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह*

स्थापित कर देता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तो उस उद्योग या क्षेत्र पर उप-पैरा (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

40. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) के अंतर्गत प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो चुका है, तथापि डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 को चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित करने पर यह अपेक्षित है कि नियमों के परिशिष्ट-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने हेतु पूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाए।

41. प्राधिकारी नोट करता है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने अनुबंध-I के नियमावली के पैरा 8 में उल्लिखित इस अनुमान का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

42. यह नोट किया जाता है कि नियमों के परिशिष्ट-I के पैरा 7 के अंतर्गत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु तीन विधियां निर्धारित की गई हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) ऐसे तृतीय देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात मूल्य के आधार पर; तथा (ग) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकरण यह नोट करता है कि एंटी-डंपिंग नियमों के परिशिष्ट-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वप्रथम सरोगेट देश में मूल्य या निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, जब ऐसा आधार उपलब्ध न हो, तभी प्राधिकरण सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें भारत में चुकाया गया या देय मूल्य भी शामिल है, कर सकता है।

43. प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन में, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में लागत एवं मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश से किसी अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, को विचाराधीन उत्पाद के विक्रय मूल्य का संबंध है, आवेदक ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन उत्पाद का भारत में एक विशिष्ट कोड है, परंतु वैश्विक स्तर पर इसका कोई विशिष्ट कोड उपलब्ध नहीं है और इसलिए निर्यात मूल्य को नहीं अपनाया जा सकता। अतः, आवेदक ने अपने तृतीय देश को निर्यात मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने अतिरिक्त रूप से भारत में वास्तव में चुकाए गए या देय मूल्य के आधार पर, युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर, सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्रारंभ के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में चुकाए गए या देय मूल्य के आधार पर, युक्तिसंगत लाभ मार्जिन जोड़कर किया गया था तथा इच्छुक पक्षों से आवेदक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

44. चूंकि घरेलू उद्योग सहित सभी इच्छुक पक्षों द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के मूल्यों या लागत के आधार पर नहीं किया जा सका। यह भी देखा गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश से भारत को निर्यात मूल्य के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकरण ने भारत में देय मूल्य के आधार पर, भारत में उत्पादन लागत तथा युक्तिसंगत लाभ को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य

का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

च.3.2 निर्यात कीमत

i. मेसर्स सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग

45. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड शानडोंग एक सीमित देयता कंपनी है, जिसे चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जांच अवधि के दौरान, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड शानडोंग ने भारत में असंबद्ध खरीदारों को दो संबंधित निर्यातकों, अर्थात् सेनिक्स कंपनी लिमिटेड और सेनिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, के माध्यम से *** मीट्रिक टन (एमटी) की बिक्री की, जिसकी चालान मूल्य *** आरएमबी थी। सेनिक्स कंपनी लिमिटेड एक सीमित देयता कंपनी है, जिसे चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सेनिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड एक सीमित देयता कंपनी है, जिसे सिंगापुर के कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

क्रमांक	विवरण	मात्रा	मूल्य (अमेरिकी डॉलर)
1	प्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया गया	***	***
2	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया	***	***
3	सेनिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया गया	***	***

46. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड शानडोंग ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन तथा बंदरगाह से संबंधित खर्चों के आधार पर समायोजन का दावा किया है, और इन्हें डेस्क सत्यापन के बाद स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है और वही नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

47. चीन जनवादी गणराज्य के शेष उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

48. विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य/सीएनवी (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	% में	रेंज
1	सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग	***	***	***	***	40-50
2	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	50-60

49. यह देखा गया है कि चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा (डी-मिनिमिस) से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन

छ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदन

50. क्षति और कारणात्मक संपर्क के आकलन के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

i. जांच अवधि के दौरान आयात कुल मांग में वृद्धि के सापेक्ष लगभग समान स्तर पर बने रहे।

ii. चीन जनवादी गणराज्य में अतिरिक्त क्षमता तथा डंपिंग के इरादे के संबंध में आवेदक का दावा अप्रमाणित है, क्योंकि इसके समर्थन में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iii. चीन जनवादी गणराज्य से आयात में वृद्धि केवल बढ़ती हुई कुल मांग को पूरा करने के लिए हुई है।

iv. आवेदक ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि भारत की पूरी मांग घरेलू स्रोतों से पूरी की जा सकती है, जिसके लिए उसने जांच अवधि के दौरान वास्तविक, उपलब्ध और संचालित क्षमताओं के बजाय फिनोरकेम लिमिटेड की प्रस्तावित क्षमता विस्तार पर भरोसा किया है।

v. मांग में वृद्धि के साथ आवेदक की बिक्री में क्षति अवधि के दौरान ***% की वृद्धि हुई है।

vi. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत पर 2020 से 2023 के बीच कच्चे माल (एसीटोन और एनिलीन) की कीमतों में तीव्र वृद्धि का प्रभाव पड़ा। जांच अवधि के बाद इन कच्चे माल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है, जिससे संकेत मिलता है कि आगे चलकर लागत संरचना सामान्य हो सकती है।

vii. आवेदक के प्रदर्शन में परिवर्तन को वैश्विक मांग में कमी, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता तथा आवेदक द्वारा लिए गए आंतरिक वाणिज्यिक निर्णयों के संयुक्त प्रभाव से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है।

viii. स्थापित क्षमता स्थिर रहने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक घरेलू बिक्री में 28% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात बिक्री में 21% की कमी आई।

ix. आवेदक घरेलू बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम रहा है, और निर्यात कुल बिक्री का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा बन गया है।

x. अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में जांच अवधि के दौरान लगभग 36% की वृद्धि हुई, जो उनकी क्षमता और बिक्री में विस्तार का परिणाम है।

xi. वित्त वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक भंडार स्तर में केवल मामूली वृद्धि हुई है, जो 7% से बढ़कर 12% हो गया।

xii. वित्त वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक वेतन एवं मजदूरी (21%), ब्याज लागत (61%) और मूल्यह्रास (61%) में वृद्धि हुई, जबकि क्षमता में कोई वृद्धि या महत्वपूर्ण पूंजी निवेश नहीं हुआ।

xiii. वित्त वर्ष 2020-21 से जांच अवधि तक कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार हुआ है।

xiv. आवेदक की प्रदर्शित वित्तीय मजबूती और 250 करोड़ रुपये के विस्तार योजनाएं किसी भी एंटी-डंपिंग सुरक्षा की आवश्यकता को नकारती हैं।

xv. आवेदक ने ग्राहकों को बनाए रखने और बाजार हिस्सेदारी की रक्षा करने के लिए जानबूझकर अपने मूल्य कम रखे। यह एक सोचा-समझा व्यावसायिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक लाभांश की कीमत पर दीर्घकालिक संबंध बनाना था।

xvi. डीजीटीआर को 22% आरओसीई की स्थिर पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए और डंपिंग के आरोपों के बिना अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक ऐतिहासिक लाभप्रदता के आधार पर एक उचित प्रतिफल अपनाना चाहिए।

xvii. 22% आरओसीई की स्थिर पद्धति को अपनाने के दृष्टिकोण पर माननीय सीईएसटीएटी न्यायाधिकरण द्वारा 'ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण' तथा 'ह्योसंग कॉरपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण' मामलों में भी प्रश्न उठाया गया है।

छ.2 आवेदक के अभ्यावेदन

51. क्षति और कारणात्मक संपर्क के आकलन के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- i. रबर रसायन विभिन्न देशों में उत्पादित होते हैं, जिनमें प्रमुख उत्पादक देश चीन जनवादी गणराज्य, यूरोप, भारत, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड हैं। अनुमान के अनुसार, लगभग 80% उत्पादन क्षमता केवल चीन में केंद्रित है, जबकि यूरोप और भारत इस उत्पाद के अगले बड़े उत्पादक हैं।

ii. चीन में उत्पादन क्षमता वहां की घरेलू मांग से कहीं अधिक है। विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन में अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 1,93,000 मीट्रिक टन है, जबकि वहां की मांग केवल 77,000 मीट्रिक टन है।

iii. क्षति अवधि के दौरान एसीटोन के आयात मूल्य में लगभग 10% की वृद्धि हुई और एनिलीन के आयात मूल्य में दोगुनी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, विचाराधीन उत्पाद का आयात मूल्य घटा है।

iv. जांच अवधि में आयात मूल्य आवेदक की परिवर्ती लागत से नीचे है।

v. विचाराधीन वस्तु की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

vi. जांच अवधि में संबंधित देश से आयात मात्रा में कमी आई क्योंकि आवेदक ने लाभप्रदता से समझौता किया। हालांकि, क्षति अवधि के दौरान संबंधित देश से आयात मात्रा में वृद्धि हुई है।

vii. वर्ष 2021 में की गई पूर्व जांच में आयात मात्रा लगभग 1600 मीट्रिक टन थी, जबकि वर्तमान जांच अवधि में चीन से आयात बढ़कर 3400 मीट्रिक टन हो गया है।

viii. उपभोग और उत्पादन के अनुपात में आयात वित्त वर्ष 2022-23 तक बढ़ा, लेकिन जांच अवधि में घट गया। आयात में यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि आवेदक ने घाटे में बिक्री कर आयात को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

ix. जांच अवधि में मूल्य अंडरकटिंग (price undercutting) काफी सकारात्मक है।

x. जांच अवधि में आयात आवेदक की बिक्री लागत से नीचे हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 से ही आयात आवेदक की बिक्री लागत से नीचे आने लगे थे।

xi. क्षति अवधि के दौरान संबंधित देश से आयातित वस्तुओं के लैंडेड मूल्य में कमी के कारण आवेदक अपने मूल्य बढ़ाने में असमर्थ रहा, जिससे मूल्य दमन (price suppression) हुआ।

xii. आवेदक का उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री वित्त वर्ष 2021-22 तक बढ़ी, वित्त वर्ष 2022-23 में घट गई, लेकिन जांच अवधि में फिर बढ़ी। ग्राहक आधार बनाए रखने के लिए जांच अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री से समझौता नहीं किया गया।

xiii. भारत में स्थापित क्षमता देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जांच अवधि के बाद फिनोरकेम लिमिटेड के प्रस्तावित विस्तार को छोड़कर भी, घरेलू उद्योग और लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

xiv. आवेदक निर्यात बिक्री पर निर्भर नहीं है और उसका मुख्य बाजार घरेलू बाजार है। किए गए निर्यात पूरी तरह अनावश्यक हैं और केवल घरेलू बाजार में बिक्री न कर पाने के कारण हैं।

xv. जांच अवधि में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आवेदक को घाटे में बिक्री करनी पड़ी।

xvi. भारतीय मांग के 80% से अधिक को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी 48% तक सीमित रही।

xvii. आवेदक की लाभप्रदता वित्त वर्ष 2022-23 में घट गई और जांच अवधि में नुकसान दर्ज किया। इसी प्रकार, नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ भी घटे और जांच अवधि में नुकसान में परिवर्तित हो गए।

xviii. आवेदक द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ROCE) वित्त वर्ष 2022-23 में घट गया और जांच अवधि में नकारात्मक हो गया।

xix. पूर्व जांचों में डंप किए गए आयात का प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी तक सीमित था, जबकि इस जांच में प्रभाव और गंभीर हो गया है, जिससे आवेदक को नुकसान हुआ।

xx. जांच अवधि के बाद भी संबंधित देश से आयात का लैंडेड प्राइस आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से नीचे बना हुआ है। साथ ही, आवेदक के लाभप्रदता संकेतक, जैसे कि पूंजी पर प्रतिफल, नकारात्मक बने हुए हैं।

xxi. जांच अवधि में आवेदक की उत्पादन लागत में वेतन और मजदूरी का हिस्सा केवल 1% है, जो क्षति अवधि के दौरान घटा है।

xxii. जांच अवधि में कुल लागत में ब्याज लागत और मूल्यह्रास का हिस्सा क्रमशः केवल []% और []% है।

xxiii. विचाराधीन उत्पाद के लिए आवेदक की विस्तार योजनाएं अचानक नहीं थीं, बल्कि उस समय बनाई गई थीं जब उसका प्रदर्शन संतोषजनक था।

xxiv. आवेदक की वृद्धि में महत्वपूर्ण गिरावट और प्रतिकूलता दर्ज की गई है।

xxv. डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर (de minimis) से अधिक और महत्वपूर्ण है।

xxvi. गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा 22% ROCE अपनाने की एक सुसंगत और स्थापित प्रथा रही है।

xxvii. 'ह्योसंग कॉरपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण' में माननीय CESTAT का निर्णय, जिसे 22% ROCE को अस्वीकार करने के लिए उद्धृत किया गया है, एंटी-डंपिंग नियमों के परिशिष्ट-III लागू होने से पहले का है।

xxviii. 'ब्रिज स्टोन' मामले में माननीय CESTAT के निर्णय के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उस मामले में संबंधित पक्षों ने प्राधिकरण की स्थापित प्रथा से हटने के लिए विशेष साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। वर्तमान जांच में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

xxix. 'मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण' और 'एम/एस पर्सटॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकरण एवं अन्य' मामलों में माननीय CESTAT ने 22% ROCE अपनाने की प्राधिकरण की प्रथा को लगातार बरकरार रखा है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. एंटीडंपिंग नियमों का नियम 11, अनुलग्नक II के साथ पढ़ा जाए तो, किसी भी प्रकार की हानि का निर्धारण करते समय उन कारकों की जांच की जाएगी जो घरेलू उद्योग को हुई हानि का संकेत दे सकते हैं, "... सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें डंप किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या डंप किए गए आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है या कीमतों में होने वाली वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से रोकना है। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति से संबंधित सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, डंपिंग की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार विचार किया गया है।

53. इच्छुक पक्षों के प्रस्तुतिकरण पर कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि का कारण विचाराधीन उत्पाद के मुख्य कच्चे माल, अर्थात् एसीटोन और एनिलीन, की कीमतों में 2020 से 2023 के बीच तीव्र वृद्धि है, प्राधिकरण ने चोट अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और आयातों की लैंडेड कीमत के साथ एसीटोन और एनिलीन की कीमतों की चाल का परीक्षण किया है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषय देश से आयात की लैंडेड कीमत कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है। जबकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, लैंडेड कीमत में गिरावट आई है। इसलिए, प्राधिकरण यह नोट करता है कि जहां विचाराधीन उत्पाद के मुख्य कच्चे माल, अर्थात् एसीटोन और एनिलीन, की कीमतों में 2020 से 2023 के बीच वृद्धि के कारण बिक्री लागत बढ़ी है, वहीं आयात मूल्य घट गया है।

54. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत इस बात पर कि जांच अवधि के बाद, विचाराधीन उत्पाद के कच्चे माल, अर्थात् एसीटोन और एनिलिन की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है (2020 से 2023 के बीच हुई तीव्र वृद्धि के बाद), जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की लागत संरचना आगे चलकर सामान्य हो सकती है, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि जांच अवधि के बाद भी उत्पाद की मूल कीमत उत्पादन लागत से कम बनी हुई है। प्राधिकरण ने पाया है कि यह वर्तमान जांच प्रारंभिक जांच है और इसलिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने पाया है कि संबंधित पक्षों ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए, जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

55. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य पर कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मूल्यह्रास लागत और ब्याज लागत में वृद्धि के साथ मेल खाती है, नीचे दी गई तालिका कुल लागत में मूल्यह्रास और ब्याज लागत को दर्शाती है। प्राधिकरण ने पाया है कि जांच अवधि में ब्याज लागत का हिस्सा केवल [***]% है। इसी प्रकार, जांच अवधि में मूल्यह्रास कुल लागत का केवल [***]% है। उत्पादन की कुल लागत में इतनी कम हिस्सेदारी के साथ, ये कारक घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण नहीं हो सकते थे। यह भी देखा गया है कि नुकसान की अवधि के दौरान उत्पादन की कुल लागत में मूल्यह्रास और ब्याज लागत की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	मूल्यह्रास (Depreciation)	₹/टन	***	***	***	***
2	ब्याज लागत (Interest cost)	₹/टन	***	***	***	***
3	मजदूरी (Wages)	₹/टन	***	***	***	***
4	कुल लागत (Total cost)	₹/टन	***	***	***	***
5	मूल्यह्रास लागत का हिस्सा (Share of depreciation cost)	%	***	***	***	***

6	ब्याज लागत का हिस्सा (Share of interest cost)	%	***	***	***	***

56. विपक्षी हितधारकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की *** करोड़ रुपये की विस्तार योजनाएँ डंपिंग-रोधी सुरक्षा की किसी भी आवश्यकता को नकारती हैं। प्राधिकरण ने पाया है कि क्षमता विस्तार का निर्णय केवल जांच अवधि के प्रदर्शन के आधार पर नहीं लिया गया है, बल्कि उससे बहुत पहले लिया गया था। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह निर्णय तब लिया गया था जब घरेलू उद्योग का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, ताकि संबंधित वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न रबर रासायनिक उत्पादों के लिए *** करोड़ रुपये के विस्तार की योजना बनाना किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देता कि घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात से डंपिंग-रोधी उपायों के रूप में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

57. विपक्षी हितधारकों ने गैर-हानिकारक मूल्य की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की निश्चित प्रतिफल पद्धति पर पुनर्विचार करने और डंपिंग के आरोपों से मुक्त अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक पूंजी पर प्रतिफल को उचित प्रतिफल के मानदंड के रूप में अपनाने का अनुरोध किया है। हितधारकों ने माननीय सीईएसटीएटी ट्रिब्यूनल के ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स बनाम नामित प्राधिकरण और मेसर्स ह्योसुंग कॉर्पोरेशन बनाम नामित प्राधिकरण के निर्णयों पर भरोसा जताया है। प्राधिकरण ने गौर किया है कि नियमों के परिशिष्ट III में नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व) का उल्लेख है और घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य का निर्धारण नियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल, जो कि 22% है, के आधार पर करना प्राधिकरण की एक नियमित प्रक्रिया है। वर्तमान मामले में, अन्य हितधारकों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि 22% से कम प्रतिफल इस मामले के लिए उपयुक्त होगा। प्राधिकरण यह भी ध्यान देता है कि संबंधित पक्षों द्वारा उद्धृत न्यायाधिकरण के निर्णयों के बाद के मामलों में, न्यायाधिकरण ने मेरिनो पैनल उत्पादों में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल लागू करने की प्राधिकरण की प्रथा को बरकरार रखा है (नामित प्राधिकरण बनाम मेसर्स पस्टॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच और अन्य बनाम नामित प्राधिकरण और अन्य)। इसलिए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल पद्धति पर विचार करना उचित समझता है।

छ.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

58. मांग को आवेदक की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की अनुमानित बिक्री और संबद्ध तथा गैर-संबद्ध स्रोतों दोनों से आयात के योग के रूप में निर्धारित किया गया है। नीचे दी गई तालिका में उत्पाद की मांग दर्शाई गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	130
3	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	173	185	197
5	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,830	2,757	4,092	2,841
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	224	155
7	अन्य देशों से आयात	एमटी	674	657	61	76
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	9	11
9	मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	147	145

59. यह देखा गया है कि मांग 2021-22 और 2022-23 में बढ़ी और जांच की अवधि में थोड़ी घटी है। टीडीक्यू की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

60. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष।

i. पूर्ण रूप में आयात

61. संबद्ध आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,830	2,757	4,092	2,841
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	224	155

62. यह देखा गया है कि आयात की मात्रा 2022-23 तक बढ़ी किंतु जांच की अवधि में घटी है। आयात की मात्रा क्षति की अवधि में बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयात पूर्ण रूप से घटे क्योंकि घरेलू उद्योग ने आयात कीमत से मेल किया और हानि पर बेचा।

ii. सापेक्षिक रूप से आयात।

63. संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत की गई है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	भारतीय उत्पादन के सापेक्ष विषय देश से आयात	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति (Trend)	अनुक्रमांकित (Indexed)	100	121	203	118
3	भारतीय मांग के सापेक्ष विषय देश से आयात	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति (Trend)	अनुक्रमांकित (Indexed)	100	82	83	90
5	कुल आयात के सापेक्ष विषय देश से आयात	%	73%	81%	99%	97%
6	प्रवृत्ति (Trend)	%	100	111	136	133

64. देखा गया कि खपत और उत्पादन के सापेक्ष आयात 2022-23 तक बढ़े, लेकिन जांच अवधि में घट गए।

65. यह देखा गया कि उत्पादन और मांग के सापेक्ष आयात चोट अवधि के दौरान बढ़े हैं। इसलिए प्राधिकरण यह मानता है कि आयात में वृद्धि भारत में मांग की वृद्धि से अधिक थी। आवेदक ने दावा किया कि सापेक्ष दृष्टि से आयात में गिरावट आई क्योंकि उसने अपने ग्राहकों को खोने से रोकने और आयात पर

नियंत्रण बनाए रखने के लिए नुकसान पर बिक्री करने का निर्णय लिया। हालांकि, जब इसे चोट अवधि के दौरान देखा जाए, तो आयात सापेक्ष दृष्टि से बढ़े हैं।

66. कुल आयात के सापेक्ष आयात 2020-21 में 73% से बढ़कर जांच अवधि में 97% हो गए।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

67. घरेलू उद्योग की कीमतों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव के संदर्भ में यह विश्लेषण आवश्यक है कि क्या कथित डंप किए गए आयातों ने भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य घटाव किया है, या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को दबाने या सामान्य परिस्थितियों में होने वाली मूल्य वृद्धि को रोकने का रहा है। विषय देश से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव का मूल्यांकन मूल्य, मूल्य दमन और मूल्य गिरावट, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है। इस विश्लेषण के लिए, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, शुद्ध बिक्री प्राप्ति और गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना विषय देश से आयातित संबंधित वस्तुओं की लैंडेड कीमत से की गई है।

i. आयात कीमत का विकास

68. नीचे दी गई तालिका में आयात कीमत और कच्चे माल की कीमत की गति दर्शाई गई है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में आवश्यक प्रमुख कच्चे माल एसीटोन और एनिलिन हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
1	एसीटोन	रु./एमटी	65,410	69,760	59,914	75,950
2	एनिलिन	रु./एमटी	65,140	1,22,931	1,35,567	1,27,001
3	आयात कीमत	रु./एमटी	1,60,324	1,88,833	1,75,475	1,54,889

69. यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमतें 2021-22 में बढ़ीं। आयात कीमत भी इस अवधि में बढ़ी। कच्चे माल की कीमतें 2022-23 और जांच की अवधि में बढ़ती रहीं। हालांकि, आयात कीमत में गिरावट आई। जबकि क्षति की अवधि में कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं, आयात कीमतें घटीं। इसलिए, प्राधिकारी मानता है कि आयात कीमतें कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं चलीं।

ii. कीमत कटौती

70. कीमत कटौती विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत से की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई (ए)
1	निवल बिक्री वसूली	रु./एमटी	***
2	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***
3	कीमत कटौती	रु./एमटी	***
4	कीमत कटौती	%	***
5	कीमत कटौती	रेंज %	10-20

71. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में, कीमत कटौती महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है। घरेलू उद्योग के हानि पर उत्पाद बेचने के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है।

iii. कीमत दमन/ह्रास

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को दबा रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबाना या कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य पाठ्यक्रम में हुई होती, लागत और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना नीचे की गई है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
1	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	121	110
3	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	141	138
5	पहुंच कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	109	97

73. देखा गया कि आवेदक की बिक्री लागत 2021-22 में लगभग ₹53,000 प्रति टन बढ़ गई। आवेदक अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा क्योंकि आयात की लैंडेड कीमत भी लगभग ₹55,000 प्रति टन

बढ़ गई थी। 2021-22 और 2022-23 के बीच, बिक्री लागत लगभग ₹*** प्रति टन बढ़ गई, लेकिन बिक्री कीमत घट गई क्योंकि आयात की लैंडेड कीमत भी घट गई थी। उस समय लैंडेड कीमत आवेदक की बिक्री लागत से कम थी।

74. जांच अवधि के दौरान, बिक्री लागत लगभग ₹*** प्रति टन घट गई, लेकिन बिक्री कीमत भी ₹*** प्रति टन घट गई, क्योंकि लैंडेड कीमत बहुत अधिक दर से लगभग ₹23,000 प्रति टन घट गई। आयात की लैंडेड कीमत लगातार आवेदक की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से नीचे बनी रही।

75. आयात की पहुंच कीमत 2020-21 और 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से ऊपर थी। हालांकि, पहुंच कीमत बाद में घटी और 2022-23 से और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से नीचे रही।

76. जांच की अवधि में बिक्री लागत और बिक्री कीमत घटने के साथ, पहुंच कीमत अधिक दर से घटी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें दबी हुई हैं।

77. क्षति की अवधि में, बिक्री कीमत बिक्री लागत की तुलना में कम दर से बढ़ी है। इसलिए, घरेलू उद्योग की कीमतें दमित हैं।

78. प्राधिकरण नोट करता है कि चोट अवधि के दौरान विषय देश से आयातों द्वारा लैंडेड कीमतों में कमी ने आवेदक को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया, जिससे मूल्य दमन हुआ। जब इसे सीधे पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाता है, तो घरेलू उद्योग की कीमतें दबाव में हैं।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

79. नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार, चोट के निर्धारण में डंप किए गए आयातों के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव की वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव के संदर्भ में, नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और संकेतकों की वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष समीक्षा पर आधारित होना चाहिए, जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। इसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर रिटर्न या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; डंपिंग मार्जिन की गंभीरता; नकदी प्रवाह, भंडारण, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न चोट मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

80. संबद्ध जानकारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (ए)
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	90	113
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	90	113
7	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	130

81. देखा गया कि:

a. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता चोट अवधि के दौरान स्थिर रही।

b. घरेलू उद्योग की क्षमता विचाराधीन उत्पाद की मांग का लगभग 80% पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, और अन्य घरेलू उत्पादकों सहित भारत में उद्योग की कुल क्षमता पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

c. 2021-22 में घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2020-21 की तुलना में बढ़ा, क्योंकि उस दौरान मांग में वृद्धि हुई। 2022-23 में उत्पादन और क्षमता उपयोग घट गया, जबकि विषय देश से आयात की मात्रा बढ़ी। इस अवधि में घरेलू उद्योग लाभप्रद था।

d. जांच अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग 2022-23 की तुलना में बढ़ा।

e. 2021-22 में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2020-21 की तुलना में बढ़ी। 2022-23 में बिक्री फिर से बढ़ी। जबकि जांच अवधि में 2022-23 की तुलना में घरेलू बिक्री बढ़ी, यह वृद्धि घरेलू उद्योग की उपलब्ध क्षमता के अनुरूप नहीं है।

f. उत्पादन और घरेलू बिक्री चोट अवधि के दौरान बढ़ी हैं। घरेलू उद्योग ने बताया कि उसने आयातों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कीमतों को काफी कम किया और नुकसान पर बिक्री की।

ii. <u>सभी आपूर्तिकर्ताओं का बाजार हिस्सा</u>

82. संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच अवधि (POI(A))**
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	82	83	90

3	अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	134	126	136
5	संबंधित देश	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	116	152	107
7	अन्य देश	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	75	6	8

83. यह देखा गया कि चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट गया, जबकि संबंधित देश से आयात का बाजार हिस्सा थोड़ी बढ़ोतरी दिखा। जांच अवधि (POI) में पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ा। आवेदक ने दावा किया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे नुकसान में बिक्री करनी पड़ी। यह भी देखा गया कि चोट की अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के पास पूरे उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता थी। प्राधिकरण यह नोट करता है कि जांच अवधि में बाजार हिस्से में मामूली सुधार केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन लागत से नीचे बिक्री की, जैसा कि जांच अवधि के दौरान दर्ज नकारात्मक लाभप्रदता से स्पष्ट है।

iii. <u>भंडार</u>

84. संबंधित जानकारी नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (POI)
1	आरंभिक भंडार	MT	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	43	220	87
3	समापन भंडार	MT	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	513	202	233
5	औसत भंडार	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	184	215	131

85. चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का समापन भंडार बढ़ गया। यह दावा किया गया है कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग का भंडार घट गया क्योंकि आवेदक बाजार में बने रहने के लिए अपने मूल्य मानकों के अनुसार समायोजन कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके बिक्री वॉल्यूम पर कोई असर न पड़े।

iv. <u>लाभप्रदता</u>

86. संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच अवधि (POI A)
1	लाभ/(हानि)	रु/MT	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	168	7	-48

3	लाभ/(हानि)	लाख रुपये	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	178	9	-62
5	PBIT	लाख रुपये	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	178	10	-60
7	नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	171	21	-38
9	निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	165	8	-53

87. यह देखा गया कि:

a. घरेलू उद्योग का प्रति यूनिट लाभ 2021-22 में बढ़ा, 2022-23 में तेजी से घटा और जांच अवधि में हानि में बदल गया।

b. घरेलू उद्योग का ब्याज और कर से पहले का लाभ (PBIT) और नकद लाभ भी 2021-22 में बढ़ा, उसके बाद जांच अवधि तक घटता रहा, और जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने नकद हानि और ब्याज से पहले हानि दर्ज की।

c. घरेलू उद्योग पर निवेश पर प्रतिलाभ (ROI) 2021-22 में बढ़ा, 2022-23 में तेजी से घटा और जांच अवधि में नकारात्मक हो गया।

d. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि सभी पिछले मामलों में उत्पाद के डंपिंग के कारण लाभ में गिरावट आई थी, लेकिन जांच अवधि में पहली बार घरेलू उद्योग ने हानि दर्ज की।

v. <u>उत्पादकता, रोजगार और वेतन</u>

88. चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और वेतन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच अवधि (POI A)**
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	97	96	107
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	MT/संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	114	93	105
5	प्रति दिन उत्पादकता	MT/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	संख्या	100	111	90	113
7	वेतन	लाख रुपये	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांकित	100	104	108	120

89. यह देखा गया कि:

a. आवेदक द्वारा भुगतान किए गए वेतन चोट की अवधि के दौरान बढ़े हैं।

b. उत्पादकता उत्पादन के अनुरूप बढ़ी या घटती रही।

c. वेतन और रोजगार उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हैं।

d. घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रति दिन उत्पादकता 2021-22 में 2020-21 की तुलना में बढ़ी, और इसके बाद 2022-23 में घट गई। जांच अवधि में प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता फिर से बढ़ी।

vi. <u>पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता</u>

प्राधिकरण ने देखा कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में हानि दर्ज की है। यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Capital Employed) नकारात्मक है, जो कार्यशील पूंजी (working capital) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग का तर्क है कि जबकि घरेलू उद्योग संबंधित उत्पादों के लिए एक नई इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में है, वर्तमान हानियाँ इस व्यवसाय में किसी भी निवेश को औचित्य नहीं देतीं।

vii. <u>विकास</u>

91. नीचे दी गई तालिका में चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विकास संबंधी संकेतक दर्शाए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	जांच अवधि (POI)
1	उत्पादन	%	11%	-19%	25%
2	घरेलू बिक्री	%	6%	15%	7%
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	%	68%	-96%	-737%
4	लाभ/(हानि)	%	78%	-95%	-780%
5	ब्याज और कर से पहले लाभ (PBIT)	%	78%	-94%	-716%
6	नकद लाभ	%	71%	-88%	-282%
7	ब्याज से पहले लाभ	%	10%	-23%	-9%

92. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण ने पाया कि 2021-22 में सभी मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। 2022-23 में उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई और सभी मूल्य मापदंडों में भी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद, जांच अवधि में, मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज और करों से पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल सहित सभी मूल्य मापदंडों में उल्लेखनीय नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। उत्पादन क्षेत्र में मात्रा मापदंडों में वृद्धि के बावजूद, *** मीट्रिक टन पर उत्पादन स्थापित क्षमता का

केवल ***% ही उपयोग दर्शाता है, और *** मीट्रिक टन पर घरेलू बिक्री कुल भारतीय मांग का केवल ***% ही है, जो बाजार के बड़े हिस्से की पूर्ति करने की घरेलू उद्योग की सिद्ध क्षमता से काफी कम है।

viii. डंपिंग मार्जिन की मात्रा

93. यह देखा गया कि संबंधित देश से भारत में आयात डंपिंग कीमतों पर हो रहे हैं। डंपिंग मार्जिन डि मिनिमिस से ऊपर और महत्वपूर्ण है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. यह देखा गया कि आयात की कीमतें सीधे घरेलू बाजार में आवेदक की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। संबंधित देश से उत्पाद की लैंडेड कीमतें आवेदक की बिक्री लागत, विक्रय मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य से कम हैं। संबंधित देश से आयात की लैंडेड कीमतों ने आवेदक की कीमतों को दबा दिया है, जिससे आवेदक को मूल्य संकेतकों पर महत्वपूर्ण हानि हुई है। संबंधित देश से आने वाले उत्पादों की लैंडेड कीमतें घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हैं।

G.3.5 चोट पर निष्कर्ष

95. संबंधित उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच से यह देखा गया कि:

a. संबंधित देश से आयात 2022–23 तक बढ़ा और उसके बाद जांच अवधि में मात्रात्मक और सापेक्ष दोनों रूपों में घटा। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि जांच अवधि में आयात वॉल्यूम में गिरावट घरेलू उद्योग पर चोट में कमी का संकेत नहीं है। वास्तव में, यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा आयात कीमतों से मेल खाकर उत्पादन लागत से नीचे बिक्री करने के कारण हुई, जैसा कि जांच अवधि में दर्ज नकारात्मक लाभप्रदता से स्पष्ट है।

b. लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य से कम है, जिससे सकारात्मक मूल्य अधोलग्न हुआ।

c. लैंडेड कीमत 2022-23 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही।

d. 2022-23 में, 2021-22 की तुलना में बिक्री लागत बढ़ी, जबकि बिक्री मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई। जांच अवधि में, 2022-23 की तुलना में बिक्री लागत घट गई, लेकिन बिक्री मूल्य और अधिक तेज़ी से गिरा। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें दबाई और नीचे की गई थीं।

e. घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग 2022-23 में घटा और जांच अवधि में बढ़ा। घरेलू उद्योग ने नुकसान में बिक्री की।

f. चोट की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घटा।

g. औसत भंडार FY 2022-23 तक बढ़ा और उसके बाद जांच अवधि में घटा।

h. वॉल्यूम संबंधी संकेतक जांच अवधि में सुधार दिखाते हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग ने आयात को नियंत्रित करने के लिए अपनी लाभप्रदता के संकेतकों की बलि दी।

i. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घट गई और जांच अवधि में नकारात्मक हो गई।

j. नकद लाभ और लगाए गए पूंजी पर प्रतिलाभ भी 2022-23 में घटे और जांच अवधि में नकारात्मक हो गए।

k. घरेलू उद्योग ने 2022-23 में वॉल्यूम और मूल्य संकेतकों दोनों में चोट का सामना किया। जबकि जांच अवधि में वॉल्यूम संकेतकों में सुधार हुआ, मूल्य संकेतकों में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

l. घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई।

m. डंपिंग किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया।

n. जांच अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा।

96. अतः, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को चोट हुई है।

H. कारण और जिम्मेदारी का निर्धारण

97. नियमों के अनुसार, यह विशेष रूप से यह जांचना आवश्यक है कि क्या डंप किए गए आयातों के अलावा कोई अन्य ज्ञात कारक भी घरेलू उद्योग को चोट पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई चोट को डंप किए गए आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। नीचे यह जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयातों के अलावा अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को चोट पहुँचाने में योगदान कर सकते थे। प्राधिकरण प्रारंभ में यह नोट करता है कि न तो अधिनियम और न ही नियम यह आवश्यक मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई चोट के लिए डंपिंग ही एकमात्र कारण हो, ताकि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जा सके।

a. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

98. प्राधिकरण ने देखा कि संबंधित देश के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा में नगण्य हैं। अतः, चोट किसी अन्य देश से आयात के कारण नहीं हुई है और इसे केवल संबंधित देश के आयात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

b. मांग में कमी

99. प्राधिकरण ने देखा कि संबंधित उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को चोट पहुँचाने का कारण बन सकता हो।

c. **खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

100. प्राधिकरण ने देखा कि संबंधित उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को चोट पहुँचाने का कारण बन सकता हो।

d. **व्यापार प्रतिबंधक प्रथाएँ**

101. प्राधिकरण ने देखा कि संबंधित उत्पाद की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकरण के संज्ञान में कोई प्रतिबंधक प्रथाएँ नहीं आई हैं।

e. **प्रौद्योगिकी में विकास**

102. प्राधिकरण ने देखा कि संबंधित उत्पाद के उत्पादन में प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

f. **उत्पादकता**

103. चोट की अवधि के दौरान उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्राधिकरण ने नोट किया कि घरेलू उद्योग को हुई चोट उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं है।

g. **निर्यात प्रदर्शन**

104. प्राधिकरण ने देखा कि यहां जांच की गई चोट संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। अतः, हुई चोट को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि जांच अवधि में 2022-23 की तुलना में निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है।

h. **अन्य उत्पादों का प्रदर्शन**

105. प्राधिकरण ने केवल संबंधित उत्पादों के प्रदर्शन से संबंधित डेटा पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को चोट पहुँचाने का संभावित कारण नहीं है।

106. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि अन्य ज्ञात कारक, जो घरेलू उद्योग को चोट पहुँचा सकते थे, को उपरोक्त गैर-जिम्मेदारी विश्लेषण में उचित रूप से जांचा गया है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने घरेलू उद्योग को चोट पहुँचाई हो। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि जांच अवधि में आयात की मात्रा में गिरावट हुई, लेकिन यह गिरावट केवल इसलिए संभव हुई क्योंकि घरेलू उद्योग को आयात कीमतों से मेल खाने के लिए अपने मूल्य घटाने और उत्पादन लागत से नीचे बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया। इसलिए, POI में आयात वॉल्यूम में कमी केवल इसलिए हुई क्योंकि घरेलू उद्योग को अपने मूल्य उत्पादन लागत से नीचे घटाने पड़े, जो स्वयं डंप किए गए आयातों के कारण हुई चोट का प्रमाण है। इस प्रकार, प्राधिकरण यह निष्कर्ष

निकालता है कि घरेलू उद्योग को हुई चोट संबंधित देश से डंप किए गए आयातों के कारण हुई प्रतीत होती है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

107. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए जांच की अवधि से संबंधित उत्पादन लागत की सत्यापित जानकारी/आंकड़ों को अपनाया गया है। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात, औसत निवल नियत संपतियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

108. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत दायर की गई प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित की गई है। लागू सीमा शुल्क जोड़कर आयात की पहुंच कीमत निर्धारित की गई है। संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	क्षतिरहित कीमत (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	पहुंच कीमत (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	रेंज
1	सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग	एमटी	***	***	***	***	20-30
2	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	एमटी	***	***	***	***	30-40

109. ऊपर निर्धारित लैंडेड कीमत और गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, संबंधित देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए चोट मार्जिन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	गैर-हानिकारक मूल्य (NIP)	लैंडेड कीमत	चोट मार्जिन	% रेंज
1	Sennics Co., Ltd., Shandong	***	***	***	10–20
2	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	20–30

J. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

J.1 <u>विरोधी इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

110. विरोधी इच्छुक पक्षों ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

a. यदि शुल्क लगाया गया तो यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि जांचाधीन उत्पाद विभिन्न डाउनस्ट्रीम उद्योगों में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है।

b. संबंधित उत्पाद पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क तुरंत टायर उद्योग के लिए उच्च इनपुट लागत में बदल जाएगा। यह उन कई प्रमुख कच्ची सामग्रियों के अतिरिक्त होगा, जो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पहले ही व्यापार सुधारात्मक शुल्क के अधीन हैं।

c. संबंधित उत्पाद डाउनस्ट्रीम टायर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण और अपूरणीय (इनपुट है, और इसका महत्व केवल प्रतिशत लागत हिस्से के आधार पर आंका नहीं जा सकता।

d. एंटी-डंपिंग शुल्क संबंधित उत्पादों की लागत बढ़ा देगा, जो अनिवार्य रूप से टायर और ऑटोमोटिव निर्माताओं तक पहुँच जाएगी, और अंततः उच्च कीमतों के रूप में अंतिम उपभोक्ताओं को भुगतनी पड़ेगी (टायर, वाहन और परिवहन सेवाओं की उच्च कीमतें) ।

e. यहां तक कि 0.10% का प्रभाव भी टायर क्षेत्र के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ में बदल सकता है।

f. पिछली निष्कर्षों को केवल यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता बिना रिकॉर्ड पर उपलब्ध वर्तमान तथ्यों के संदर्भ में जांच किए। वर्तमान परिस्थितियों में एंटी-डंपिंग शुल्क का डाउनस्ट्रीम प्रभाव पहले के मामलों की तुलना में कहीं अधिक होगा, विशेष रूप से टायर उद्योग द्वारा कमजोर वैश्विक मांग, महंगाईपूर्ण इनपुट लागत और कम लागत वाले निर्यातक देशों से प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए।

g. आवेदक यह तर्क देने का प्रयास कर रहा है कि भारत में पूरी मांग घरेलू स्रोतों से पूरी की जा सकती है, जो द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार पर आधारित है, न कि जांच अवधि के दौरान वास्तविक, उपलब्ध और संचालित क्षमताओं पर।

J.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

111. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

a. संबंधित उत्पाद टायर उत्पादकों और अन्य रबर कंपाउंड निर्माताओं के संचालन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है।

b. डाउनस्ट्रीम उद्योग में संबंधित उत्पाद की कुल कच्ची सामग्री लागत, कुल लागत और बिक्री मूल्य में हिस्सेदारी निम्नलिखित है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई (UOM)	मूल्य (Value)
A	कच्चा माल लागत (Raw Material Cost)	%	0.55%
B	उत्पादन लागत (Cost of Production)	%	0.36%
C	बिक्री (Sales)	%	0.31%

c. उन सभी उत्पादों (उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कच्चे माल) पर एंटी-डंपिंग शुल्क का संचयी प्रभाव, जिन पर या तो जांच चल रही है या उपाय लागू हैं, मात्र 0.7% है।

d. प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद पर पहले किए गए परीक्षणों में लगातार यह दिखाया है कि अन्य हितधारक उपयोगकर्ता उद्योग पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं।

e. भारत में स्थापित क्षमता भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह स्थिति फिनोरकेम लिमिटेड द्वारा जांच अवधि के बाद प्रस्तावित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ को ध्यान में रखे बिना भी बनी रहती है।

f. आवेदक रबर रसायन बाजार में अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसमें विषय वस्तुओं के लिए क्षमता विस्तार भी शामिल है।

g. टायर उद्योग को मौजूदा सब्सिडी-विरोधी शुल्क, आयात प्रतिबंध और आयात के लिए बीआईएस लाइसेंस की आवश्यकता के माध्यम से संरक्षण प्राप्त है।

h. यूरोपीय संघ द्वारा नवंबर 2017 से 5 वर्षों की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लागू थे। इस अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की मांग में भी वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि डंपिंग-विरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

i. आवेदक से खरीद के मामले में, उपभोक्ताओं के पास आयात पर निर्भर रहने की तुलना में कम इन्वेंट्री स्तर बनाए रखने का विकल्प है। इसलिए, डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाना उपभोक्ताओं के हित में होगा।

j. डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि भारत में संबंधित वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक है, जिसका नाम लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा, फिनोरकेम लिमिटेड जांच अवधि के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है, जिसके उत्पाद वर्तमान में ग्राहकों के साथ परीक्षण के अधीन हैं।

ञ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

112. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क का लगाया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर जानकारी और प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विचार पर आधारित है।

113. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें वर्तमान समीक्षा जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था, जिसमें उनके संचालन पर डंपिंग-विरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल थे। प्राधिकरण ने अन्य बातों के अलावा, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की विनिमयशीलता, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर डंपिंग-विरोधी शुल्क का प्रभाव और डंपिंग-विरोधी शुल्क के जारी रहने से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन में तेजी या देरी करने वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।

114. यह ध्यान दिया जाता है कि सामान्यतः डंपिंग-विरोधी उपायों का उद्देश्य डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकरण यह मानता है कि डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के साथ-साथ भारत में इस उत्पाद का उपयोग करके निर्मित अन्य उत्पादों के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, डंपिंग-विरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, डंपिंग-विरोधी उपायों को लागू करने से संबंधित देश से कम कीमत पर आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के प्रदर्शन मानकों में होने वाली गिरावट को रोका जा सकेगा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

115. इस जांच में रुचि रखने वाले चार उपयोगकर्ताओं/आयातकों, अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, सीईएटी लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एमआरएफ लिमिटेड में से, अपोलो टायर्स लिमिटेड और सीईएटी लिमिटेड ने निर्धारित उपयोगकर्ता/आयातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। प्राधिकरण ने इस जांच में सभी रुचि रखने वाले पक्षों को आर्थिक हित प्रश्नावली भी भेजी थी। प्राधिकरण ने पाया है कि दो उपयोगकर्ताओं, अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड और सीईएटी लिमिटेड ने निर्धारित आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दाखिल कर दिए हैं। उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने से उनके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; हालांकि, उन्होंने ऐसे शुल्कों के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई मात्रात्मक डेटा या पुख्ता जानकारी प्रदान नहीं की है। डंपिंग-विरोधी शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने वाले किसी भी मात्रात्मक साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग को अत्यधिक नुकसान होगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डेटा सहित, रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा किया है।

116. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित की है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	क्र.सं.	मूल्य
1	भारत में टीडीक्यू की खपत मूल्य	रु. करोड़	A	295
2	भारतीय टायर उत्पादकों की कुल कच्चा माल लागत	रु. करोड़	B	60,170
3	भारतीय टायर उत्पादकों की कुल उत्पादन लागत	रु. करोड़	C	92,272
4	भारतीय टायर उत्पादकों का कुल बिक्री मूल्य	रु. करोड़	D	1,04,444
6	कच्चे माल की लागत में हिस्सा	%	E = A/B	0.55%
7	उत्पादन लागत में हिस्सा	%	F = A/C	0.36%
8	बिक्री में हिस्सा	%	G = A/D	0.31%
10	कच्चे माल की लागत पर प्रभाव	%	I = E×40%	0.21%
11	उत्पादन लागत पर प्रभाव	%	J = F×40%	0.14%
12	बिक्री पर प्रभाव	%	K = G×40%	0.12%

117. डंपिंग-रोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। प्राधिकरण ने यह भी पाया है कि डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने से भारत में संबंधित वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया जाता है कि डंपिंग-रोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग की क्षमता संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, जिससे देश में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है। लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य घरेलू उत्पादक भी भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है।

<u>ट. प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदन</u>

ट.1 विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदन

118. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां की हैं:

a. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का आवेदन और प्रत्यानित देश डेटा का उपयोग 11 दिसंबर 2016 को चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल की संबंधित व्यवस्थाओं की समाप्ति के बाद कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है।

b. गैर-हानिकारक मूल्य (NIP) निर्धारित करने के लिए पूंजी पर प्रतिलाभ (ROCE) 22% अपनाना अत्यधिक है और एंटी-डंपिंग नियमों की परिशिष्ट III में "उचित प्रतिलाभ" की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

c. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा, क्योंकि संबंधित उत्पाद डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और शुल्क इनपुट लागत बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करेगा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा करेगा।

d. संबंधित उत्पाद विभिन्न ग्रेड, शुद्धता स्तर, सूत्रीकरण और भौतिक रूपों में निर्मित और बेचा जाता है, जिनमें लागत और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ होती हैं। एक ही संदर्भ मूल्य इन भिन्नताओं को सही ढंग से नहीं दर्शा पाएगा और विभिन्न उत्पाद प्रकारों में शुल्क लागू करने में विकृति उत्पन्न कर सकता है; इसलिए एड वैलोरम शुल्क लगाया जा सकता है।

e. प्राधिकरण ने कहा कि लैंक्सेस ने प्रारंभ के बाद कोई जानकारी प्रदान नहीं की और Lanxess का कोई उत्पादन डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः प्राधिकरण से अनुरोध है कि कुल भारतीय उत्पादन किस आधार पर गणना किया गया, इसे स्पष्ट किया जाए।

f. लैंक्सेस ने प्रारंभ का समर्थन किया है; प्राधिकरण को यह निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा घरेलू उत्पादक अधिक कुशल है और सामान्य मूल्य उसी के अनुसार निर्धारित करना चाहिए, केवल आवेदक के डेटा के आधार पर नहीं।

g. NIP के उद्देश्य से पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना के लिए प्राधिकरण ने TDQ के ऐतिहासिक प्रतिलाभ का कोई विश्लेषण सार्वजनिक नहीं किया। ऐसी प्रकटीकरण के बिना किसी विशेष ROCE बेंचमार्क को अपनाने का आधार स्पष्ट नहीं है।

h. एनीलीन मुख्य इनपुट है और एनीलीन पर एंटी-डंपिंग शुल्क ने आवेदक की लागत बढ़ा दी है।

i. घरेलू उद्योग को हुई चोट वैश्विक क्षेत्रीय मंदी, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता, आंतरिक अक्षमताएँ और लागत संरचना के कारण हुई है।

j. जबकि प्राधिकरण ने शुल्क के डाउनस्ट्रीम प्रभाव को मात्रात्मक रूप से आकलित करने का प्रयास किया है, उसने यह आकलन नहीं किया कि यदि एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया तो घरेलू उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

k. प्राधिकरण ने प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव का अलग से मूल्यांकन किया है, बिना टायर उद्योग में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल पर वर्तमान और प्रस्तावित व्यापार सुधारात्मक उपायों के संचयी बोझ को ध्यान में रखे।

ट.2 आवेदक के प्रकटन-पश्चात अभ्यावेदन

119. आवेदक ने निम्नलिखित प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां की हैं:

a. प्राधिकरण द्वारा जाँचे गए घरेलू उद्योग के प्रदर्शन और आयात की मात्रा एवं कीमत को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात के कारण काफी नुकसान हुआ है।

b. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया डंप-विरोधी शुल्क का प्रभाव 40% शुल्क पर आधारित था। प्राधिकरण ने इससे कम नुकसान का अनुमान लगाया है। इसलिए, डंप-विरोधी शुल्क का प्रभाव अनुशंसित शुल्क पर आधारित होना चाहिए।

c. भारत में उत्पादन क्षमता देश की मांग से अधिक है। मांग से अधिक उत्पादन क्षमता होने के कारण, घरेलू उत्पादकों को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होगी और कोई एकाधिकार नहीं होगा।

d. 2008 से शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है। इससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि अतीत में डंप-विरोधी शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

e. 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क लगाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे कम अवधि में घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात से हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा।

f. वर्तमान मामले में एक निश्चित शुल्क प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की कीमत कच्चे माल की अस्थिर कीमतों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुत की गई आपत्तियों की जांच की है। यह पाया गया है कि इनमें से अधिकांश आपत्तियां और तर्क उन्हीं का दोहराव हैं जिनकी जांच पहले ही की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में आवश्यक सीमा तक उनका समाधान किया जा चुका है। संबंधित पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/आवेदनों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है। ऐसी कोई भी आपत्ति जो पिछली आपत्तियों की मात्र पुनरुत्पादन थी और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

121. हितधारकों की इस टिप्पणी पर कि गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारण के लिए प्राधिकरण ने पूंजी पर 22% प्रतिफल को बिना कारण बताए और घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित पूंजी पर प्रतिफल की ऐतिहासिक दर का खुलासा किए बिना ही माना है, यह ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकरण की यह एक सुसंगत प्रथा रही है कि वह पूंजी पर 22% प्रतिफल को ही माने। CESTAT ने विभिन्न जांचों में यह माना है कि 22% प्रतिफल उचित है, विशेष रूप से विपरीत साक्ष्य के अभाव में। प्राधिकरण ध्यान देता है कि वर्तमान मामले में, हितधारकों द्वारा जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य/प्रस्तुति नहीं दी गई है जो यह सिद्ध करे कि गैर-हानिकारक मूल्य की गणना के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूंजी पर 22% प्रतिफल उचित क्यों नहीं है।

122. चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति और वैकल्पिक देशों के आंकड़ों के उपयोग के संबंध में संबंधित पक्षों की टिप्पणियों पर, चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के प्रासंगिक प्रावधानों की समाप्ति (11 दिसंबर 2016) के बाद कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाता है कि यद्यपि चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया था, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान, प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ मिलकर, नियमों के परिशिष्ट I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है। अतः, यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।

123. संबंधित पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेड, शुद्धता स्तर, फॉर्मूलेशन और भौतिक रूपों में बेचा जाता है और प्रत्येक ग्रेड की लागत में काफी भिन्नता होती है, यह ध्यान दिया गया है कि जांच में किसी भी पक्ष द्वारा पीसीएन पद्धति का अनुरोध नहीं किया गया था। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में कोई पीसीएन तैयार नहीं किया है। सहभागी निर्यातक ने यह दावा नहीं किया है कि उसने विभिन्न ग्रेड वाले उत्पाद का निर्यात किया है जिनकी लागत में भिन्नता है। इसलिए, यह तर्क कि उत्पाद के विभिन्न ग्रेड हैं जिन पर मूल्य के आधार पर शुल्क लगाया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

124. लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन का निर्धारण करने के आधार के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियों पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन का निर्धारण प्राधिकरण को दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने आवेदन में बताया था कि उसने लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कच्चे माल के आयात के आधार पर उत्पादन का निर्धारण किया है। लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक हितधारक के रूप में पंजीकरण कराया, उत्पादन और बिक्री संबंधी जानकारी प्रदान की, लेकिन आरंभ के बाद कोई अन्य जानकारी प्रदान नहीं की। इसलिए, प्राधिकरण ने रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी पर भरोसा किया है।

125. एनाइलिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क, वैश्विक क्षेत्रीय मंदी, कच्चे माल की लागत में अस्थिरता, आंतरिक अक्षमता और लागत संरचना के कारण हुई क्षति के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियों पर गौर किया गया है कि घरेलू उद्योग 2022-23 तक लाभ में था और केवल जांच अवधि में ही उसे नुकसान हुआ है। यदि घरेलू उद्योग को हुई क्षति इन्हीं कारकों के कारण होती, तो उसे पिछले वर्षों में भी क्षति हुई होती। यह भी ध्यान दिया गया है कि हितधारकों ने केवल सामान्य बयान दिए हैं और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है।

126. हितधारकों की इस टिप्पणी पर कि उपयोगकर्ता उद्योग के विभिन्न कच्चे माल पर कई व्यापारिक सुधारात्मक जांच चल रही हैं और इन सभी कच्चे माल का संचयी प्रभाव महत्वपूर्ण होगा, यह देखा गया है कि उपयोगकर्ताओं ने जांच के दौरान प्रस्तुतियाँ तो की हैं, लेकिन संचयी प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने टीडीक्यू, सल्फरयुक्त कार्बनिक पदार्थ, पीएक्स-13, एसबीआर, अघुलनशील सल्फर और आईआईआर पर एंटी-डंपिंग शुल्क के संचयी प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान की है। यह देखा गया है कि इन सभी उत्पादों पर, जिन पर या तो जांच चल रही है या उपाय लागू हैं, शुल्क का प्रभाव 1% से कम है। यह भी माना जाता है कि हालांकि एंटी-डंपिंग का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई

प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जांच की अवधि में नुकसान झेलने वाले घरेलू उत्पादकों के हित में होगा।

ठ. निष्कर्ष

127. उठाए गए मुद्दों, दी गई जानकारी और हितबद्ध पक्षकारों के अभ्यावेदनों तथा ऊपर दर्ज निष्कर्षों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:

क. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु पर

- विचाराधीन उत्पाद '2,2,4-ट्राइमेथिल-एल,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन' है या 'टीडीक्यू' के नाम से भी जाना जाता है।
- विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत एचएस कोड 3812 31 00 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और इसे एचएस कोड 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20 और 3812 39 90 के तहत आयात किया जाता है।
- घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) की दृष्टि से एक-दूसरे की समान वस्तु हैं।

ख. घरेलू उद्योग और आधार पर

- आवेदक के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध सामान का एक अन्य उत्पादक, नामतः लैनएक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है।
- नोसिल लिमिटेड नियमावली की दृष्टि से भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। नोसिल लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है।

ग. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर

- चीन जन.गण. से केवल एक उत्पादक, नामतः सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग ने जांच में भाग लिया।
- चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं, इसलिए चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाता है।
- प्राधिकारी ने किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है। प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत पर विचार किया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों के लिए समायोजित किया गया है।

- विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है। सेनिक्स कं., लि. शेनडोंग के लिए पाटन मार्जिन 40-50% की रेंज में पाया गया है।

घ. क्षति और कारणात्मक संपर्क पर

- संबद्ध देश से आयात 2022-23 तक बढ़े और उसके बाद जांच की अवधि में पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूपों में घटे।
- जबकि कच्चे माल की कीमतें क्षति की अवधि के आधार वर्ष से बढ़ीं, आयात कीमतें घटीं और कच्चे माल की कीमतों के साथ तालमेल में नहीं चलीं।
- संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं और कीमत कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- घरेलू उद्योग की कीमतें जांच की अवधि में दबी और हासी हुई थीं।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घटी और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गई।
- जांच से पता चला कि संबद्ध देश से पाटन के अलावा कोई अन्य कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता हो।
- उपरोक्त के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. से संबद्ध सामान के पाटित आयातों के कारण सारभूत क्षति उठाई है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में घटी और जांच अवधि में नकारात्मक हो गई।
- घरेलू उद्योग का नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भी 2022-23 में घट गया और उसके बाद जांच अवधि में घटता रहा।
- जांच में विषय देश से डंपिंग के अलावा कोई अन्य कारक नहीं पाया गया जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता था।
- उपरोक्त के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चीन से आयातित डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हुआ है।

e. भारतीय उद्योग के हित में

i. देश में मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

ii. घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है, और डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाना घरेलू उत्पादकों के हित में होगा।

iii. शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

128. प्राधिकरण ने पाया कि जांच शुरू कर दी गई थी और सभी संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबंधित पक्षों को डंपिंग, क्षति, कारण संबंध

और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। डंपिंग-विरोधी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारण संबंध की जांच शुरू करने और उसे संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का यह मत है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

129. अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को दूर करने के लिए, संबंधित देश से आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर डंपिंग मार्जिन और हानि मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करता है। तदनुसार, प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए संबंधित देश से आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
1	38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123990 (नोट 1)	टीडीक्यू (नोट 2)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	सेनिक् कं., लि. शेनडोंग	**440**	एमटी	अमेरिकी डॉलर
2	वही	वही	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 से इतर कोईअन्य	**549**	एमटी	अमेरिकी डॉलर
3	वही	वही	चीन जन.गण से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	**549**	एमटी	अमेरिकी डॉलर

नोट 1 - ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।

नोट 2 - विचाराधीन उत्पाद का विवरण '2,2,4-ट्राइमेथिल-एल,2-डाइहाइड्रोक्विनोलिन' या टीडीक्यू के नाम से भी जाना जाता है।

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट अलग-अलग शुल्क दरों के आवेदन के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करना शर्त होगी। उक्त घोषणा निम्नानुसार तैयार की जाएगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (पीयूसी का नाम) की (मात्रा) का विनिर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा [संबंधित देश] में किया गया है। मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी के लिए लागू शुल्क दर लागू होगी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

130. इन जांच परिणामों पर आधारित केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)